



छत्तीसगढ़ शासन

लेखे एक दृष्टि में



2010–11

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़, रायपुर



छत्तीसगढ़ शासन

लेखे एक दृष्टि में

2010–11

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़, रायपुर

प्राककथन

छत्तीसगढ़ सरकार के "लेखे एक दृष्टि में" के वर्ष 2010–11 वार्षिक प्रकाशन के अंक को प्रस्तुत करने में मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। इस प्रकाशन का मूल प्रयोजन वार्षिक वित्त एवं विनियोग लेखे में समावेशित विस्तृत सूचनाओं को संक्षेप में आसुत करना तथा अधिक सुगम बनाना है। राज्य सरकार के वार्षिक लेखे नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां व सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 तथा भारतीय संविधान के अधिनियम 149 के तहत राज्य विधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने हेतु भारत के नियंत्रक महालेखा— परीक्षक के कार्यालय के अधीन, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा तैयार किया जाता है।

वित्त लेखे के प्रारूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए गए हैं, जिसमें सरकार की वित्तीय स्थिति को और अधिक स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए आवश्यक विवरणों को भी समाविष्ट किया गया है जिसके परिणामतः, वित्त लेखे, दो खण्डों में प्रकाशित किए जा रहे हैं। इन परिवर्तनों के अनुरूप "लेखे एक दृष्टि में" को संशोधित एवं पुनर्निर्मित कर इसको और अधिक सारगर्भित किया गया है। समेकित रूप से वित्त एवं विनियोग लेखे, "राज्य—वित्त पर प्रतिवेदन" तथा "लेखे एक दृष्टि में" का अवलोकन छत्तीसगढ़ शासन की वित्तीय स्थिति के विभिन्न पहलुओं को अधिक प्रभावशाली रूप से समझने में सहायता करेगी।

आपके टिप्पणियां एवं सुझाव, प्रकाशन को और उपयोगी बनाने में हमें सहयोग प्रदान करेंगे।

हस्ता—

स्थान : रायपुर

दिनांक : 03.12.2011

(पूर्ण चन्द्र माझी)
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
छत्तीसगढ़

हमारा दृष्टिकोण, उद्देश्य और बुनियादी मूल्य

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की संस्था का दृष्टिकोण हमारी आंकाक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है।

हमें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वैशिक नेतृत्व एवं लोक निधि तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की लेखापरीक्षा एवं लेखाकरण को प्रारम्भ करने तथा लोक निधि एवं नियंत्रण पर स्वतंत्र, विश्वसनीय, संतुलित तथा समय पर प्रतिवेदन हेतु पहचाना जाता है।

हमारे उद्देश्य, हमारी वर्तमान भूमिका को प्रतिपादित करते हैं एवं आज हम क्या कर रहे हैं को विवेचित करते हैं।

भारत के संविधान के विधि द्वारा हम उच्च गुणवत्ता की लेखापरीक्षा एवं लेखाकरण के माध्यम से जगाबदेही, पारदर्शिता तथा सुशासन को प्रोत्साहित करते हैं एवं हमारे आधार स्तम्भ—विधान मण्डल, कार्यपालिका तथा लोकजन को, जो लोक धन का प्रभावी रूप से उपयोग किए जाने तथा अभिप्रेत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्वतन्त्र रूप से आश्वस्त करते हैं।

हमारे बुनियादी मूल्य सभी के लिए जो हम कार्य करते हैं पथ प्रदर्शक है तथा हमारे कार्य के निर्धारण हेतु मानक प्रदान करते हैं।

- स्वतन्त्रता
- उद्देश्यता
- विश्वसनीयता
- व्यवसायिक कुशलता
- पारदर्शिता
- सत्यनिष्ठा
- सकारात्मक पहल

विषय सूची

अध्याय-1	विहंगावलोकन	पृष्ठ संख्या
1.1	परिचय	7
1.2	लेखे की संरचना	7
1.3	वित्त एवं विनियोग लेखे	8
1.4	निधियों के स्रोत एवं प्रयोग	10
1.5	लेखे की विशेषताएँ	13
1.6	घाटा एवं आधिक्य क्या इंगित करता है	14

अध्याय-2	प्राप्तियां	
2.1	परिचय	17
2.2	राजस्व प्राप्तियां	17
2.3	प्राप्तियों की रुझान	18
2.4	राज्य के स्वयं कर राजस्व संग्रहण की कार्य कुशलता	20
2.5	कर संग्रहण की दक्षता	20
2.6	संघीय करों के राज्यांश का रुझान	21
2.7	सहायता अनुदान	21
2.8	लोकऋण	22

अध्याय-3	व्यय	
3.1	परिचय	23
3.2	राजस्व व्यय	23
3.3	पूँजीगत व्यय	24

अध्याय-4	आयोजना एवं आयोजनेतर व्यय	
4.1	व्यय का वितरण (2010–11)	26
4.2	आयोजना व्यय	26
4.3	आयोजनेतर व्यय	27
4.4	प्रतिबद्ध व्यय	27

अध्याय-5	विनियोग लेखे	
5.1	विनियोग लेखे का सार (2010–11)	29
5.2	विगत पाँच वर्षों के बचत / आधिक्य का रुझान	29
5.3	विशिष्ट बचतें	30

अध्याय-6	परिसम्पत्ति एवं देयताएं	
6.1	परिसम्पत्तियां	32
6.2	ऋण एवं देयताएं	32
6.3	प्रतिभूतियां	33

अध्याय-7	अन्य मर्दे	
7.1	आंतरिक ऋणों के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष	34
7.2	राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	34
7.3	स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता	34
7.4	रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश	35
7.5	लेखाओं का पुनर्मिलान	35
7.6	कोषालयों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतिकरण	35
7.7	संक्षिप्त एवं विस्तृत आकस्मिकता देयक	36
7.8	अपूर्ण निर्माण कार्यों पर प्रतिबद्धता	36
7.9	व्यय का अतिरेक	36

अध्याय—1

विहंगावलोकन

1.1 परिचय


राज्य सरकार के मासिक लेखे जिला कोषालयों, लोक निर्माण, वन तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डलों आदि के लेखों के आधार पर महालेखाकार द्वारा संकलित एवं समेकित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त नियन्त्रक—महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार वित्त एवं विनियोग लेखे वार्षिक रूप से महालेखाकार द्वारा भारत के नियन्त्रक—महालेखापरीक्षक के निदेशों के अधीन प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है।

1.2—लेखे की संरचना

1.2.1—शासकीय लेखे निम्नलिखित तीन भागों में रखे जाते हैं :—

भाग – I समेकित निधि	राजस्व एवं पूँजीगत लेखों पर प्राप्तियों एवं व्यय लोक ऋण तथा कर्जे एवं पेशागियों
भाग – II आकस्मिकता निधि	आकस्मिकता निधि से अभिप्राय उस अप्रत्याशित व्यय से है जिसका प्रावधान बजट में नहीं किया गया है। इस निधि से हुए व्यय की तदनन्तर समेकित निधि से पूर्ति की जाती है।
भाग – III लोक लेखे	लोक लेखे से अभिप्राय ऋण, जमा, पेशागियों, प्रेषण तथा उचन्त लेन देन से है। जमा और पेशागियों सरकार के उत्तरदायित्वों के पुर्णभुगतान को वर्णित करती है। पेशागियां सरकार की प्राप्त योग्य राशियों हैं। प्रेषण एवं उचन्त लेन देन समायोजित प्रविष्टियों हैं जो लेखे के संबंधित अंतिम शीर्ष में समायोजित की जाती है।

1.2-2 लेखा संकलन :—



1.3—वित्त एवं विनियोग लेखे

1.3.1—वित्त लेखे—

वित्त लेखे सरकार की वर्ष की प्राप्तियों और व्ययों के लेखे वर्णित करता है, साथ ही यह राजस्व एवं पूँजीगत लेखाओं, वित्तीय परिणाम, लोक ऋण के लेखाओं एवं लेखाओं में दर्ज शेषों के आधार पर निकाली गई देयताओं और परिसम्पत्तियों को भी प्रदर्शित करता है। वर्ष 2009–10 से वित्त लेखे नए प्रारूप में दो खण्डों में प्रकाशित किए जा रहे हैं जो कि लेखों को और अधिक विस्तृत तथा सूचनात्मक बनाते हैं। वित्त लेखे के खण्ड I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र, समग्र प्राप्तियों एवं वितरणों का संक्षिप्त विवरण तथा लेखाकरण की विशिष्ट नीति, लेखे की गुणवत्ता तथा अन्य मदों से युक्त लेखाओं की टिप्पणी सम्मिलित है। खण्ड II में अन्य संक्षिप्त विवरण (भाग I), विस्तृत विवरण (भाग II), तथा परिशिष्ट (भाग III) शामिल है।

छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2010–11 के वित्त लेखे में सम्मिलित प्राप्तियाँ एवं संवितरण निम्नानुसार हैं—

		₹ करोड़ में)
प्राप्तियाँ कुल (₹ 2,28,76.15)	राजस्व (₹ 2,27,19.54)	कर राजस्व 1,44,30.33
		करेतर राजस्व 38,35.32
		सहायता अनुदान 44,53.89
	पूँजीगत (₹ 1,56.61)	पूँजीगत प्राप्तियाँ 2.56
		ऋण तथा अग्रिम की वसूलियाँ 5,61.16
		अन्तर्राज्यीय समाशोधन 2.65
		उधार तथा अन्य दायित्व (-)4,09.76
संवितरण कुल (₹ 2,28,76.15)	राजस्व	1,93,55.75
	पूँजीगत	29,51.51
	ऋण तथा अग्रिम	5,66.55
	अन्तर्राज्यीय समाशोधन	2.34

वर्ष 2010–11 दौरान कुल ₹ 2,28,76.15 करोड़ की कुल प्राप्तियों में ₹ 2,27,19.54 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ, ₹ 1,44,30.30 करोड़ कर राजस्व, ₹ 38,52.32 करोड़ करेतर राजस्व, ₹ 44,53.89 करोड़ सहायता अनुदान तथा अंशादान तथा ऋण तथा अग्रिम की वसूलियाँ ₹ 5,61.16 करोड़, अन्तर्राज्यीय समायोजन ₹ 2.65 करोड़ और पूँजीगत प्राप्तियाँ ₹ 2.56 करोड़ सम्मिलित हैं।

वर्ष के दौरान कुल संवितरण ₹ 2,28,76.15 करोड़ था, जिसमें ₹ 1,93,55.75 करोड़, राजस्व लेखा ₹ 29,51.51 करोड़, पूँजीगत लेखा ₹ 5,66.55 करोड़ ऋण तथा अग्रिम तथा ₹ 2.34 करोड़ रूपये अन्तर्राज्यीय समाशोधन के अंतर्गत था।

विभिन्न योजनाओं एवं कार्यकमों को लागू करने वाली राज्य की विभिन्न एजेन्सियों एवं अशासकीय संगठनों को केन्द्र सरकार सीधे तौर पर विशेष निधि उपलब्ध कराती है। इस वर्ष भारत सरकार ने सीधे तौर पर ₹ 43,60.17 करोड़ की राशि विमुक्त की है। ये निधियाँ राज्य के बजट एवं राज्य के लेखे में दर्शित नहीं होती हैं। निधियों के यह स्थानान्तरण की जानकारी वित्त लेखे के खण्ड II के परिशिष्ट VII में दर्शित किया गया है।

1.3.2—विनियोग लेखे

विनियोग लेखे वित्त लेखे का पूरक है। यह समेकित निधि पर भारित एवं राज्य विधान मंडल द्वारा दत्तमत अनुदान के विरुद्ध राज्य सरकार के व्यय को दर्शाते हैं, भारित अनुदानों की संख्या 49 एवं दत्तमत अनुदानों की संख्या 73 है।

वर्ष के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित विनियोग अधिनियम 2010–11 के द्वारा राशि ₹ 2,92,67.80 करोड़ का व्यय तथा राशि ₹ 5,11.92 करोड़ व्यय में कमी (वसूलियां) के रूप में प्रायोजित की गई थी। इसके विरुद्ध राशि ₹ 2,39,99.46 करोड़ का वास्तविक सकल व्यय हुआ तथा राशि ₹ 4,32.43 करोड़ व्यय में कमी के रूप में हुई। परिणामतः राशि ₹ 52,68.34 करोड़ (18 प्रतिशत) की निवल बचत हुई तथा व्यय में कमी के रूप में ₹ 79.48 करोड़ (15.52 प्रतिशत) जो कि बजट अनुमानों से कमी को प्रतिबिम्बित करती है।

सकल व्यय में संक्षिप्त आकस्मिकता देयकों से आहरित राशि ₹ 4.53 करोड़ सम्मिलित है जो कि वर्ष के अन्त में एक समर्थित विस्तृत आकस्मिकता देयकों की प्रतिक्षा में समायोजन हेतु लम्बित हैं।

1.4—निधियों के स्त्रोत एवं प्रयोग

1.4.1—अर्थोपाय पेशागियां:—

राज्य सरकार अपनी तरलता स्थिति बनाएं रखने एवं संवरण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम लेती है, तत्पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अपने लेखे में अनुबंधित न्यूनतम नगद शेष में जब कभी कमी हो, सीमा तक अधिविकर्षण आहरित करती है। सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ ₹ 0.72 करोड़ का न्यूनतम नगद शेष रखना आवश्यक है। इन अर्थोपाय पेशागियों की राशि की प्रचुरता तथा आहरणों या लिए जाने की अवधियों के महत्तम संख्या, राज्य सरकार के नगद शेष की प्रतिकूल स्थिति को प्रदर्शित करता है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006–07 से 2010–11 तक अर्थोपाय अग्रिम नहीं लिया गया है।

1.4.2—निधि प्रवाह का विवरण

वर्ष के दौरान राज्य का राजस्व आधिक्य ₹ 33,63.79 करोड़ तथा राजकोषीय आधिक्य ₹ 4,09.76 करोड़ रहा जो कि कमशः सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.6 प्रतिशत एवं 0.31 प्रतिशत है। राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,27,19.54 करोड़) का लगभग 42.72 प्रतिशत खर्च "प्रतिबद्ध खर्च" जैसे वेतन ₹ 66,96.42 करोड़, ब्याज की अदायगी ₹ 11,98.38 करोड़ तथा पेंशन पर ₹ 18,10.33 करोड़ व्यय किए गए।


निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि	
स्रोत	01.04.2010 को प्रारंभिक रोकड़ शेष	-5,55.06
	राजस्व प्राप्तियां	2,27,19.54
	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	5,61.16
	लोक ऋण	7,95.19
	लघु बचतें भविष्य निधियां तथा अन्य	8,25.25
	आरक्षित तथा शोधन निधियां	4,05.38
	जमा प्राप्तियां	24,08.61
	सिविल पेशागियां पुर्णभुगतान	3,99.47
	उचन्त लेखे	6,20,96.45
	प्रेषण	58,52.93
	पूंजीगत प्राप्तियां	2.56
	अन्तर्राज्यीय समाशोधन	2.65
	आकस्मिकता निधि	..
	योग	9,55,14.13
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	1,93,55.75
	पूंजीगत व्यय	29,51.51
	प्रदत्त ऋण	5,66.55
	लोक ऋण का पुर्णभुगतान	6,90.87
	लघु बचतें भविष्य निधियां तथा अन्य	4,96.28
	आरक्षित तथा शोधन निधियां	4,33.46
	जमा राशि से किए गए भुगतान	20,53.45
	प्रदत्त सिविल पेशागियां	3,99.37
	उचन्त लेखा	6,42,26.03
	प्रेषण	58,19.25
	अन्तर्राज्यीय समाशोधन	2.34
	31.03.2011 को रोकड़ अंतशेष	(-) 14,80.73
	योग	9,55,14.13

1.4.3—रुपया जहां से आया


वास्तविक प्राप्तियाँ



- कर राजस्व
- करेतर राजस्व
- सहायता अनुदान
- ऋण तथा अधिमांग की वसूली तथा लोक ऋण
- लोक लेखा

1.4.3—रुपया जहां गया

वास्तविक व्यय



- व्याज भुगतान
- पेंशन भुगतान
- ऋणों का भुगतान
- वेतन भुगतान
- अनुरक्षण
- दिया गया ऋण
- सहायता अनुदान
- सखिसडी
- अन्य कार्यकलाप

1.5—लेखों की विशेषताएँ:-

(₹ करोड़ में)

	बजट अनुमान 2010–11	वास्तविक आंकड़े	वास्तविक आंकड़ों का प्रतिशत	
			बजट प्रावधान से	स.रा.घ.उ. [*] से
1	कर राजस्व ¹	1,23,11.35	1,44,30.33	117 11
2	करेतर राजस्व	43,21.46	38,35.32	89 3
3	सहायता अनुदान तथा अंशदान	38,93.54	44,53.89	114 3
4	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)	2,05,26.35	2,27,19.54	111 17
5	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	9,79.05	5,61.16	58 00
6	उधार और अन्य दायित्व ²	31,80.03	-4,09.76	-13 00
6 अ	पूंजीगत प्राप्तियां (अन्तर्राज्यीय समाशोधन के द्वारा)	..	5.21	100 00
7	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6)	41,59.08	1,56.61	4 00
8	कुल प्राप्तियां (4 + 7)	2,46,85.43	2,28,76.15	93 17
9	आयोजनेतर व्यय (एन.पी.इ.)	1,10,85.85	1,12,97.44	102 9
10	राजस्व लेखे का आयोजनेतर व्यय	1,10,71.09	1,12,86.39	102 9
11	सरल क्रमांक 10 के व्यय में से ब्याज अदायगी पर व्यय (एन.पी.इ.)	12,08.04	11,98.38	99 1
12	पूंजीगत लेखे का (एन.पी.इ.)	1.46	11.05	.. 00
13	योजना व्यय	1,35,99,58	1,15,78.71	85 9
14	राजस्व लेखा (पी.ई.)	85,95.48	80,69.36	94 6
15	पूंजीगत लेखा (पी.ई.)	40,66.29	35,09.35	86 3
16	कुल व्यय (9+ 13) ³	2,46,85.43	2,28,76.15	93 18
17	राजस्व व्यय (10+ 14)	1,96,66.57	1,93,55.75	98 15
18	पूंजीगत व्यय { 12 + 15 } ⁴	40,67.70	35,20.40	86 3
19	राजस्व आधिक्य { 4–17 }	8,59.78	33,63.79	391 3
20	राजकोषीय आधिक्य { 4+5–16+6अ }	-31,80.03	4,09.76	-13 00

* सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 12,97,17.54 करोड़ की जानकारी आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त हुई है।

¹ संघीय करों के राज्यांश की राशि ₹ 54,25.19 करोड़ सम्मिलित है।

² उधार एवं अन्य दायित्व (₹ 4,09.76 करोड़), में निवल लोक ऋण (₹ 1,04,32 करोड़), आकस्मिकता निधि की निवल राशि निरंक, लोक लेखा (-₹ 14,39,75 करोड़) तथा रोकड़ शेष (₹ 9,25,67 करोड़) सम्मिलित है।

³ पूंजीगत व्यय ₹ 35,20,40 करोड़ में निवल पूंजीगत व्यय ₹ 29,51,51 करोड़, ऋण तथा अग्रिम ₹ 5,66,55 करोड़ तथा अन्तर्राज्यीय समाशोधन ₹ 2,34 करोड़ सम्मिलित है।

⁴ कुल व्यय में ऋण तथा अग्रिम ₹ 5,66,55 करोड़ की राशि (₹ 5,56,48 करोड़ आयोजनागत व्यय तथा ₹ 10,07 करोड़, आयोजनेतर व्यय) सम्मिलित है।

1.6—घाटा एवं आधिक्य क्या इंगित करता हैः—

घाटा	यह प्राप्तियों एवं संवितरणों के अन्तर को दर्शाता है। घाटे का प्रकार, घाटे की पूर्ति हेतु वित्तपोषण के तरीके एवं निधियों का प्रयोग सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन का द्योतक है।
राजस्व घाटा/आधिक्य	यह राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के अन्तर को दर्शाता है। राजस्व व्यय सरकार की वर्तमान स्थापना को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है एवं सिद्धान्तः यह राजस्व प्राप्तियों के बराबर होना चाहिए।
राजकोषीय घाटा एवं आधिक्य	यह कुल प्राप्तियों एवं कुल व्यय (उधार को छोड़कर) के बीच के अन्तर को प्रदर्शित करता है। यह दर्शाता है कि व्यय को किस सीमा तक उधार द्वारा वित्त पोषित किया गया है। सिद्धान्तः उधारों का निवेश पूंजीगत परियोजनाओं में होना चाहिए।

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राजकोषीय दायित्व अधिनियम 2005 शीर्षक से एक राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, बुद्धिमत्तापूर्ण राजकोषीय प्रबंधन एवं राजकोषीय स्थिरता, राजस्व घाटे के क्रमिक समापन, राजकोषीय स्थिरता से संगत टिकाऊ/स्थिर ऋण प्रबंधन, सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में उच्चतर पारदर्शिता एवं राजकोषीय नीति के संचालन में एक मध्यम अवधि के राजकोषीय ढांचा सुनिश्चित करने हेतु पारित किया गया।


वर्ष 2010–11 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 25% वृद्धि की तुलना में राजस्व व्यय में 12% की वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व आधिक्य 2009–10 के ₹ 888.22 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010–11 में ₹ 3363.79 करोड़ हो गया।

राजस्व आधिक्य में ₹ 2476 करोड़ की वृद्धि एवं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में ₹ 431 करोड़ की कमी के साथ साथ पूंजीगत व्यय में ₹ 207 करोड़ की वृद्धि एवं ₹ 331 करोड़ अन्तर्राजीय निपटान सहित ऋणों एवं अग्रिमों के भुगतान में


वृद्धि के परिणामस्वरूप गत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2010–11 में राजकोषीय आधिक्य के रूप में ₹ 409.76 करोड़ की वृद्धि हुई।

राजकोषीय आधिक्य (₹ 409.76 करोड़) एवं ब्याज भुगतान (₹103 करोड़) में वृद्धि के कारण 2009–10 में ₹ 665 करोड़ का प्राथमिक घाटा 2010–11 में ₹ 1608 करोड़ के प्राथमिक आधिक्य में परिवर्तित हो गया।

1.6.1—राजस्व घाटा/अतिशेष का रुझान



1.6.1—राजकोषीय घाटा/आधिक्य का रुझान




1.6.3—उधार ली गई निधियों से पूँजीगत व्यय पर किए गए खर्च का अनुपातिक व्यय:-

छत्तीसगढ़ शासन का विगत पाँच वर्षों का उधार ली गई निधियों एवं पूँजीगत व्यय पर किए गए खर्च का अनुपातिक विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	(₹ करोड़ में)
उधार की निधियाँ	9,36.97	2,61.93	3,86.34	12,87.21	7,95.19	
पूँजीगत व्यय	21,98.10	31,30.69	29,40.16	27,44.92	29,51.51	

पूँजीगत व्यय पर उधार की निधि के खर्च का अनुपात

पूँजीगत व्यय पर उधार निधि का खर्च



अध्याय—2


प्राप्तियाँ

2.1 परिचय :—

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्ति एवं पूँजीगत प्राप्ति में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2010–11 की कुल प्राप्तियाँ ₹ 2,28,76.15 करोड़ थीं।

2.2 राजस्व प्राप्तियाँ :—

कर राजस्व	कर राजस्व में राज्य द्वारा लगाए गए तथा संग्रहित कर तथा संविधान के अनुच्छेद 280(3) के अन्तर्गत संघीय करों का राज्यांश सम्मिलित है।
करेतर राजस्व	करेतर राजस्व में ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश तथा लाभ इत्यादि सम्मिलित हैं।
सहायता अनुदान	संघ सरकार से राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त जिसमें विदेशी सरकारों से प्राप्त सहायता सामग्री तथा उपस्कर एवं बाह्य सहायता अनुदान सम्मिलित है, जो संघ सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इसी तरह राज्य सरकार कुछ संस्थाओं को जैसे पंचायती राज संस्था एवं स्वायत्वशासी संस्थाओं को सहायता अनुदान प्रदान करती है।



राजस्व प्राप्ति घटक (2010–11)

(₹ करोड़ में)

घटक	वास्तविक
क. कर राजस्व	1,44,30.33
आय तथा व्यय पर कर	32,49.91
सम्पत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर	10,37.57
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	1,01,42.85
ख. करेतर राजस्व	38,35.32
ब्याज प्राप्तियाँ लाभांश तथा लाभ	1,75.25
सामान्य सेवाएं	60.23
सामाजिक सेवाएं	1,31.62
आर्थिक सेवाएं	34,68.22
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान	44,53.89
योग—राजस्व प्राप्तियाँ	2,27,19.54


2.3 प्राप्तियों का रुझान :—

(₹ करोड़ में)

	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
कर राजस्व	82,44.50 (12%)	96,53.08 (12%)	1,08,51.63 (12%)	1,15,03.91 (11%)	1,44,30.33 (11%)
करतेर राजस्व	14,51.34 (2%)	20,20.45 (3%)	22,02.21 (2%)	30,43.01 (3%)	38,35.32 (3%)
सहायता अनुदान तथा अंशदान	17,57.41 (3%)	22,05.12 (3%)	26,08.92 (3%)	36,06.74 (3%)	44,53.89 (4%)
योग—राजस्व प्राप्तियाँ	1,14,53.24 (17%)	1,38,78.65 (17%)	1,56,62.76 (17%)	1,81,53.66 (17%)	2,27,19.54 (18%)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	6,68,74.89	8,02,55.11	9,31,79.71	10,98,23.43	12,97,17.54

टीप: कोष्टक में दिए गए आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 के मध्य सकल राज्य धरेलू उत्पाद में 18.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि राजस्व वसूली में (कर राजस्व 25 प्रतिशत, करेतर राजस्व 26 प्रतिशत तथा सहायता अनुदान 23 प्रतिशत) वृद्धि 25 प्रतिशत रही।




क्षेत्रवार कर राजस्व :—

(₹ करोड़ में)

	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
आय तथा व्यय पर कर	16,20.65	21,51.56	22,80.67	28,15.86	32,49.91
सम्पत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर	4,51.63	5,52.26	8,56.45	7,46.89	10,37.57
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	61,72.22	69,49.26	77,14.51	79,41.15	1,01,42.85
योग—कर राजस्व	82,44.50	96,53.08	1,08,51.63	1,15,03.91	1,44,30.33

प्रमुख करों का स.रा.घ.उ.से अनुपातिक रूझान



2.4 राज्य के स्वयं कर राजस्व संग्रहण की कार्यकुशलता:-

वर्ष	कर राजस्व	संघ कर राज्यांश	राज्य का स्वयं का राजस्व	सकल राज्य धारेलू उत्पाद प्रतिशत में
1	2	3	4	5
2006–07	82,44.50	31,98.80	50,45.70	3.88
2007–08	96,53.08	40,35.20	56,18.08	4.33
2008–09	1,08,51.63	42,57.91	65,93.72	5.08
2009–10	1,15,03.91	43,80.66	71,23.25	5.49
2010–11	1,44,30.33	54,25.19	90,05.14	6.94

2.5 कर संग्रहण की दक्षता:-

(अ) सम्पत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर:-

(₹ करोड़ में)

	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
राजस्व संग्रहण	4,51.63	5,52.26	8,56.45	7,46.89	10,37.56
संग्रहण पर व्यय	1,00.05	1,08.85	1,29.40	1,48.57	1,68.65
कर संग्रहण की दक्षता	22 %	20 %	15 %	20 %	16.25 %

2.5 (ब) वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर :-

(₹ करोड़ में)


	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
राजस्व संग्रहण	61,72.22	69,49.26	77,14.51	79,41.15	1,01,42.85
संग्रहण पर व्यय	1,45.35	1,78.61	2,12.36	2,22.38	1,78.09
कर संग्रहण की दक्षता	2%	3%	3%	3%	2%

2.6 विगत पाँच वर्षों के संघीय करों के राज्यांश का रूझान :—

मुख्य शीर्ष विवरण	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
निगम कर	9,98.36	12,80.59	13,96.23	18,02.82	21,20.52
आय पर निगम कर के अलावा कर	6,06.25	8,59.51	8,76.77	10,04.24	11,20.57
सम्पत्ति कर	1.26	1,42	1.36	4.08	4.35
सीमा शुल्क	6,23.91	7,62.69	8,13.92	6,13.10	9,48.66
संघ उत्पाद शुल्क	6,62.50	7,28.08	7,09.89	4,93.86	6,90.12
सेवा कर	3,06.89	4,02.92	4,59.85	4,62.56	5,40.97
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	−0.20	−0.15	−0.11
संघीय करों का राज्यांश	31,98.80	40,35.00	42,57.91	43,80.66	54,25.19
कुल राजस्व कर	82,44.50	96,53.08	1,08,51.63	1,15,03.91	1,44,30.33
कुल राजस्व कर से संघीय करों का प्रतिशत	38.39%	42%	39%	38%	38%

2.7 सहायता अनुदान :—

सहायता अनुदान भारत सरकार से प्राप्त होने वाली सहायता राशियों को दर्शाता है तथा इसमें राज्य आयोजना तथा योजना आयोग द्वारा अनुमोदित केन्द्र प्रवर्तित योजना/केन्द्रीय योजना एवं वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित आयोजनेत्तर अनुदान सम्मिलित है। वर्ष 2010–11 को सहायता अनुदान के अन्तर्गत कुल प्राप्तियां ₹ 44,53.89 करोड़ रही जो कि निम्नलिखित है।



कुल सहायता अनुदान में आयोजनेत्तर अनुदान राशि का अंशदान वर्ष 2009–10 के 41.10 प्रतिशत से घटकर 2010–11 में 31.38 प्रतिशत हो गया, जबकि आयोजनांतर्गत योजनाओं के लिए सहायता राशि का अंशदान 2009–10 के 58.90. प्रतिशत से बढ़कर 68.62 प्रतिशत हो गया। आयोजनान्तर्गत योजनाओं के केन्द्रीय अंशदान (₹ 38,93.54 करोड़) के बजट अनुमान के विरुद्ध राज्य ने वास्तविक रूप में (₹ 30,56.44 करोड़) का सहायता अनुदान प्राप्त किया जो बजट अनुमान का 78.50 प्रतिशत था।

2.8 लोक ऋण (आंतरिक ऋण तथा केन्द्रीय ऋण) :-

राज्य सरकार के 2010–11 के कुल ₹ 5,92.43 करोड़ के आंतरिक ऋण के साथ इस दौरान प्राप्त केन्द्रीय ऋण घटक ₹ 2,02.76 करोड़ के विरुद्ध पूंजीगत व्यय केवल ₹ 29,51.51 करोड़ रहा।

विगत पाँच वर्षों में लोक ऋण का रुझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
आंतरिक ऋण	6,75.67	-1,97.95	-1,29.40	5,28.81	36.95
केन्द्रीय ऋण	42.04	94.93	1,67.06	1,06.83	67.37
कुल लोक ऋण	7,17.71	-1,03.02	-2,96.46	6,35.64	1,04.32

टीप:- ऋणात्कर राशि प्राप्तियों से अधिक भुगतान किया जाना दर्शाता है

अध्याय—3

व्यय

3.1—परिचय

व्यय को राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय के दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। राज्य सरकार के विभिन्न संगठनों/विभागों द्वारा दैनिक व्यय के रूप में राजस्व व्यय प्रयुक्त किया जाकर पूँजीगत व्यय स्थायी सम्पत्तियों के निर्माण अथवा स्थायी सम्पत्तियों की उपयोगिता में वृद्धि करने या स्थायी देयताओं को कम करने में किया जाता है। राजस्व एवं पूँजीगत व्यय को पुनः आयोजना एवं आयोजनेत्तर दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है।

सामान्य सेवाएं	न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण विभाग, पेंशन इत्यादि सम्मिलित है।
सामाजिक सेवाएं	शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, जलपूर्ति तथा अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण इत्यादि सम्मिलित है।
आर्थिक सेवाएं	कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, है।

3.2—राजस्व व्यय—

छत्तीसगढ़ शासन के विगत पाँच वर्षों के बजट अनुमान एवं वास्तविक व्यय के मध्य अन्तर का प्रतिशत निम्नानुसार है:—


	(₹ करोड़ में)				
	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
निवल बजट अनुमान	1,10,60.85	1,35,51.84	1,61,77.79	2,01,24.27	2,24,30.00
वास्तविक व्यय	88,02.44	1,08,39.86	1,37,93.71	1,72,65.44	1,93,55.75
अन्तर	22,58.41	27,11.98	23,84.08	28,58.83	30,74.25
बजट अनुमान से अन्तर का प्रतिशत	20.41%	20.01%	14.73%	14.20%	13.70%

3.2.1—वर्ष 2010–11 के राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण

घटक	राशि	(₹ करोड़ में) प्रतिशत
क. राजकोषीय सेवाएं	3,47.38	2%
(i) सम्पत्ति तथा पूँजीगत लेनदेन पर कर संग्रहण	1,68.65	.
(ii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर संग्रहण	1,78.09	.
(iii) अन्य राजकोषीय सेवाएं	0.64	.
ख. राज्य के अंग	1,65.80	1%
ग. ब्याज अदायगी तथा ऋण सेवाएं	12,98.37	7%
घ. प्रशासनिक सेवाएं	16,25.08	8%
ङ. पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं	18,10.43	9%
च. सामाजिक सेवाएं	83,09.72	43%
झ. आर्थिक सेवाएं	50,91.42	26%
ण. सहायता अनुदान तथा अंशदान	7,07.55	4%
योग. व्यय (राजस्व लेखा)	1,93,55.75	100%

3.2.2—राजस्व व्यय के मुख्य घटक (2006–11)

राजस्व व्यय के मुख्य घटकों का रूझान



3.3—पूँजीगत व्यय:—

वर्ष 2010–11 के दौरान पूँजीगत संवितरण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.7 प्रतिशत रहा एवं बजट अनुमान से ₹ 5,47.30 करोड़ (योजनागत व्यय में ₹ 5,56.89 की कमी तथा आयोजनेतर व्यय में ₹ 9.59 करोड़ के अधिक व्यय) कम था।

3.3.1—पूंजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण

वर्ष 2010–11 के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं में ₹ 9,95.79 करोड़ व्यय किए गए, जिनमें वृहद सिंचाई में ₹ 3,58.32 करोड़, मध्यम सिंचाई में ₹ 94.74 करोड़ तथा लघु सिंचाई में ₹ 5,42.73 करोड़ व्यय किए गए। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा भवन निर्माण पर ₹ 51.42 करोड़ तथा विभिन्न निगमों/कम्पनियों/समितियां में ₹ 10.82 करोड़ निवेश किए गए।

(₹ करोड़ में)


	क्षेत्र	राशि	प्रतिशत
1	सामान्य सेवाएं—पुलिस, भू—राजस्व आदि	52.87	1
2	समाजिक सेवाएं—शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, आदिम जाति, जनजाति कल्याण आदि	8,27.60	24
3	आर्थिक सेवाएं—कृषि, ग्रामीण विकास सिंचाई, सहकारिता, उर्जा, उद्योग आदि	20,71.04	59
4	ऋण तथा अग्रिम—संवितरण	5,66.55	16
5	अन्तर्राजीय समायोजन	2.34	..
योग		35,20.40	100

3.3.2—विगत पांच वर्षों के पूंजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण

(₹ करोड़ में)

क्र.	क्षेत्र	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
1	सामान्य सेवाएं	74.79	106.55	102.10	76.81	52.87
2	समाजिक सेवाएं	502.97	733.12	708.26	802.10	827.60
3	आर्थिक सेवाएं	1620.34	2291.01	2129.80	1866.01	2071.04
4	ऋण तथा अग्रिम	771.13	500.28	490.75	896.79	566.55
5	अन्तर्राजीय समायोजन	1.73	2.08	1.47	3.29	2.34
योग		2970.96	3632.14	3432.38	3645.00	3520.40


पूंजीगत व्यय का क्षेत्रवार रूझान



अध्याय – 4

आयोजना एवं आयोजनेतर व्यय


4.1 व्यय का वितरण वर्ष 2010–11 :-



4.2 :- आयोजना व्यय:-

वर्ष 2010–11 के दौरान योजनागत व्यय ₹ 1,15,78.71 करोड़ जो कुल संवितरण का 51 प्रतिशत है। कुल योजनागत व्यय में राज्य आयोजना के अन्तर्गत ₹ 88,00.64 करोड़, केन्द्र प्रवर्तित आयोजना के अन्तर्गत ₹ 22,19.25 करोड़, ऋणों एवं अग्रिमों के अन्तर्गत ₹ 5,56.48 करोड़ तथा अन्तर्राज्यीय समाशोधन ₹ 2.34 करोड़ सम्मिलित है।

योजनागत व्यय का कुल व्यय एवं सकल राज्य धरेलू उत्पाद से प्रतिशत




4.2.1 :— पूंजीगत लेखे के अन्तर्गत आयोजना व्यय:—

(₹ करोड़ में)


	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
कुल पूंजीगत व्यय	29,68.98	36,31.22	34,32.38	36,45.00	35,20.40
पूंजीगत व्यय (आयोजना)	29,36.64	35,89.03	34,20.92	36,34.88	35,09.35
कुल पूंजीगत व्यय से पूंजीगत व्यय (आयोजना) का प्रतिशत	98.91	98.84	100	99.72	99.69

4.3 आयोजनेतर व्यय :—

वर्ष 2010–11 के दौरान आयोजनेतर व्यय कुल संवितरण का 49 प्रतिशत करते हुए ₹ 1,12,97.44 करोड़ (राजस्व के अन्तर्गत ₹ 1,12,86.39 करोड़ पूंजीगत के अन्तर्गत ₹ 11.05 करोड़) रहा।



4.4 :— प्रतिबद्ध व्यय:—



(₹ करोड़ में)

घटक	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
प्रतिबद्धता व्यय	39,49.59	45,22,98	55,28,18	78,71,25	97,05,04
राजस्व व्यय	88,02,44	1,08,39,85	1,37,93,70	1,72,65,44	1,93,55,75
राजस्व प्राप्ति का प्रतिबद्धता व्यय से प्रतिशत	34	32	35	43	43
राजस्व व्यय का प्रतिबद्धता व्यय से प्रतिशत	44	41	40	45	50

वर्ष 2009–10 की तुलना में प्रतिबद्ध व्यय में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अध्याय—5

विनियोग लेखे

5.1 वर्ष 2010–11 के विनियोग लेखे का सारः—

(₹ करोड़ में)

क्र स	व्यय का प्रकार	मूल अनुदान	पूरक अनुदान	पुन—विनियोजन	योग	वास्तविक व्यय	बचत(—)आधिक्य(+)
1	राजस्व— दत्तमत प्रभारित	1,86,31.46 <i>15,14.80</i>	27,06.35 <i>11.97</i>	—16,00.23 <i>—22.09</i>	1,97,37.58 <i>15,04.68</i>	1,82,64.98 <i>14,30.33</i>	—14,72.60 <i>—74.35</i>
2	पूंजीगत— दत्तमत प्रभारित	40,98.88 <i>0.66</i>	2,92.04 ..	—9,52.43 ..	34,38.49 <i>0.66</i>	30,44.00 <i>0.39</i>	—3,94.49 <i>—0.27</i>
3	लोकऋण— प्रभारित	9,02.21	..	—2,11.38	6,90.83	6,90.86	0.03
4	ऋण तथा अग्रिम दत्तमत	9,51.62	1,57.78	—5,24.96	5,84.44	5,66.55	—17.89
5	अन्तर्राज्यीय समाशोधन दत्तमत योग	0.01 2,60,99.64	.. 31,68.14	.. —33,11.09	0.01 2,59,56.69	2.34 2,39,99.45	+2.33 —19,57.24

5.2 विगत पांच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य का रुझानः—

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत (—) आधिक्य (+)						योग
	राजस्व	पूंजीगत	लोकऋण	ऋण तथा अग्रिम	अन्तर्राज्यीय समाशोधन		
2006–07	—11,00.99	—3,78.35	—0.01	—86.36		+1.72	—15,63.99
2007–08	—18,53.43	—5,21.07	+2,71.53	—62.23		+2.07	—21,63.13
2008–09	—14,76.58	—8,60.66	+19.85	—77.40		+1.46	—23,93.33
2009–10	—10,66.21	—6,28.41	+0.30	—83.56		+3.28	—17,74.60
2010–11	—15,46.95	—3,94.76	+0.03	—17.89		+2.33	—19,57.24

5.3 विशिष्ट बचतः—

अनुदान के अन्तर्गत अधिक बचतें कुछ योजनाओं/कार्यकर्मों का कियान्वयन न करने या धीमी गति से कियान्वित करने का द्योतक है। कुछ अनुदानों के अन्तर्गत लगातार हुई बचतें एवं विशिष्ट बचतें निम्नानुसार हैं:—

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या तथा नाम	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
राजस्व दत्तमत					
20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	11%	9%	8%	6%	7%
27—स्कूल शिक्षा	7%	8%	15%	3%	25%
41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	13%	16%	13%	9%	10%
64—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	8%	11%	13%	7%	12%
79—लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	24%	11%	47%	22%	25%
81—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	3%	11%	9%	23%	5%
पूँजीगत दत्तमत					
41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	19%	11%	13%	14%	3%
42—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य सङ्कें और पुल	17%	18%	35%	42%	41%
67—लोक निर्माण कार्य—भवन	17%	20%	20%	22%	27%
68—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—भवन	29%	43%	55%	58%	34%

वर्ष 2010–11 के दौरान कुल ₹ 31,68.14 करोड़ का अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया जो कि कुल व्यय का 12.20 प्रतिशत था। कुछ प्रकरणों में मूल प्रावधान से कम व्यय होने के कारण बचत हुई तथापि वर्ष के दौरान अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया जो अनावश्यक सिद्ध हुआ, जानकारी निम्नानुसार है:—

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या तथा नाम	अनुभाग	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय
01—सामान्य प्रशासन	राजस्व	79.23	8.06	72.14
02—सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	9.19	1.22	8.20
04—गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	26.01	1.32	10.34
05—जैल	राजस्व	53.07	0.26	45.42
08—भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	3,42.38	14.00	2,30.39
09—राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	10.19	0.34	4.35
19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	4,59.55	32.86	4,21.42
21—आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	16.04	1.63	10.09
27—स्कूल शिक्षा	राजस्व	20,66.72	47.45	15,82.37
28—राज्य विधान मण्डल	राजस्व	22.47	0.78	17.61
33—आदिम जाति कल्याण	राजस्व	8,62.32	21.69	7,73.52
38—बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान	राजस्व	19.79	11.30	18.49
41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	23,76.71	4,72.62	23,60.86
42—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	राजस्व	2,67.86	11.40	1,63.56
43—खेल और युवा कल्याण	राजस्व	32.93	0.85	20.35
44—उच्च शिक्षा	राजस्व	3,59.07	3.20	3,27.92
46—विज्ञान और टैक्नॉलाजी	राजस्व	8.31	0.20	4.42
47—तकनीक शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	राजस्व	1,17.45	7.29	89.21
55—महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	राजस्व	5,52.94	12.01	3,60.35
56—ग्राम उद्योग	राजस्व	51.14	3.72	47.23
58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व	3,09.53	1,10.32	2,03.77
64—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	राजस्व	9,59.36	25.80	7,92.67
67—लोक निर्माण कार्य—भवन	राजस्व	2,65.32	2.20	2,44.21
68—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—भवन	राजस्व	1,14.34	1.30	76.72
79—चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,98.34	0.80	1,50.34
24—लोक निर्माण कार्य— सड़कें और पुल	पूंजीगत	3,54.51	32.37	3,45.95
41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	पूंजीगत	11,21.27	1,07.16	8,55.60
64— अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	पूंजीगत	6,77.79	18.42	2,22.12
67—लोक निर्माण कार्य—भवन	पूंजीगत	2,10.96	2.85	1,56.26

अध्याय—6

परिसम्पत्तियों तथा देयताएं

6.1 परिसम्पत्तियां:-

लेखे का वर्तमान स्वरूप, सरकार की परिसम्पत्तियों जैसे भूमि, भवन आदि का मूल्यांकन अधिग्रहण/कय के वर्षों को छोड़कर अन्य वर्षों में सहजता से चित्रित नहीं करता। उसी प्रकार जहां लेखे, चालू वर्ष में उत्पन्न होने वाले दायित्वों के प्रभाव को दर्शाता है, केवल ब्याज की दर एवं मौजूदा ऋण की अवधि को छोड़कर वह आगामी पीढ़ी पर दायित्वों के प्रभाव को नहीं दर्शाती।

2010–11 के अन्त तक गैर वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों में अंश पूँजी के रूप में कुल निवेश ₹ 2,59.92 करोड़ रहा। इस प्रकार वर्ष 2010–11 के दौरान निवेश पर ₹ 4.30 करोड़ (1.65 प्रतिशत) का लाभांश प्राप्त किया। वर्ष 2010–11 के दौरान निवेश में ₹ 10.82 करोड़ की वृद्धि हुई जबकि लाभांश आय में ₹ 3.86 करोड़ की वृद्धि हुई।

31 मार्च 2010 को भारतीय रिजर्व बैंक का रोकड़ शेष ₹ –5,54.81 करोड़ था तथा मार्च 2011 के अन्त में घटकर ₹ –14,80.73 करोड़ हुआ।


6.2 ऋण तथा देयताएं:-

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत राज्य सरकारों को समेकित निधि की प्रतिभूति के एवज में राज्य को प्रदत्त उस सीमा तक उधार लेने हेतु शक्ति प्रदत्त की गई है, जो कि समय समय पर आवश्यकतानुसार राज्य विधान मण्डल द्वारा निर्धारित किया है।

राज्य सरकार के लोक ऋण तथा कुल देयताएं का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	लोक ऋण	स.रा.घ.उ. का %	लोक लेखा	स.रा.घ.उ. का %	कुल देयताएं	स.रा.घ.उ. का %
2006–07	10776.23	18.65	3355.93	5.68	14060.32	24.33
2007–08	10479.77	15.64	4031.84	5.84	14422.23	21.38
2008–09	10376.75	12.85	4403.27	5.45	14780.03	18.31
2009–10	11012.39	10.21	4920.55	5.56	15936.62	14.77
2010–11	11116.72	8.56	5580.27	4.30	16696.99	12.87

वर्ष 2009–10 की तुलना में लोकऋण तथा अन्य देयताओं में ₹ 764.05 करोड़ (5 प्रतिशत) की निवल वृद्धि हुई।



6.3 प्रतिभूतियां:-

संविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, निगमों, सहकारी संस्थाओं आदि द्वारा लिए गए कर्जों और पूँजी के पुनर्भुगतान तथा उन पर देय ब्याज के भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों की स्थिति निम्नानुसार है:—

वर्ष	प्रत्याभूत राशि (केवल मूलधन)	बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
2006–07	24,82.76	4,86.33	प्रतीक्षित
2007–08	24,95.22	4,80.62	प्रतीक्षित
2008–09	36,49.53	8,95.16	प्रतीक्षित
2009–10	44,00.65	33,37.53	33.81
2010–11	50,53.59	28,49.35	प्रतीक्षित

अध्याय—7

अन्य विषय

7.1 आंतरिक ऋण के अन्तर्गत प्रतिकूल शेषः—

राज्य सरकार का ऋण ग्रहण भारतीय संविधान के अधिनियम 293 द्वारा नियंत्रित होता है। सीधे ऋण लेने के साथ, राज्य सरकार शासकीय कम्पनियों एवं निगमों द्वारा बाजार एवं वित्तीय संस्थाओं से विभिन्न योजनागत योजनाओं एवं राज्य बजट के बाहर परियोजित कार्यकमों के कार्यान्वयन हेतु लिए गए ऋणों की प्रत्याभूति भी करती है। इन ऋणों को संबंधित प्रशासनिक विभागों की प्राप्तियां समझा जाता है। यह सरकार की पुस्तकों में उल्लेखित नहीं होते, तथापि ऋणों का पुर्णभुगतान सरकार की पुस्तकों में उल्लिखित होता है।

31 मार्च 2011 को प्रतिकूल शेष की राशि निरंक रही।

7.2 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिमः—

2010–11 के वर्षान्त तक राज्य सरकार द्वारा ₹ 15,46.33. करोड़ के कुल ऋण एवं अग्रिम दिए गए हैं जो सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर सरकारी संस्थाओं, स्थानीय निकायों हेतु ऋण एवं अग्रिम से संबंधित थे। 31 मार्च 2011 के अन्त तक ₹ 6,23.17 करोड़ मूल एवं ₹ 44.53 करोड़ ब्याज की वसूली बाकी है।

7.3 स्थानीय एवं अन्य निकायों को वित्तीय सहायता:—

विगत पाँच वर्षों के दौरान स्थानीय निकायों आदि को सहायता अनुदान 2006–07 में ₹ 22,01.80 करोड़ से बढ़कर 2010–11 में ₹ 34,01.22 करोड़ हो गया जो कि पूर्व वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2010–11 के दौरान राज्य शासन द्वारा मुख्यतः शहरी निकायों को 26 प्रतिशत, पंचायती राज्य संस्थाओं को 54 प्रतिशत एवं अन्य संस्थाओं को 11 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

विगत पांच वर्षों के सहायता अनुदान का विवरण निम्नानुसार है:-

(₹ करोड़ में)

निकायों को वित्तीय सहायता	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
शैक्षणिक संस्थाएं(अनुदानित शालाएं, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, आदि)	75.91	98.86	83.82	83.90	1,44.82
विद्युत / उर्जा	5,72.13	1,35.13	1,18.00	65.05	1,01.05
कृषि	25.31	16.81	19.78	26.50	37.50
शहरी निकाय	5,44.84	6,18.15	7,37.26	5,77.71	9,05.50
पंचायती राज संस्थान	7,63.82	9,55.14	12,99.47	15,20.71	18,35.92
अन्य संस्थान	2,19.79	1,83.17	3,04.72	4,78.25	3,76.43
योग	22,01.80	20,07.26	25,63.05	27,52.17	34,01.22

7.4 रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश :-

2010–11 में राज्य सरकार की रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष निवेश की स्थिति निम्नानुसार है:-

(₹ करोड़ में)

घटक	1 अप्रैल 2010 के अनुसार	31 मार्च 2011के अनुसार	निवल वृद्धि(+)/ कमी(-)
रोकड़ शेष	(–) 5,55.06	(–) 14,80.73	(–) 9,25.67
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार कोषालय बिल)	13,64.05	33,80.80	20,16.75
उद्धिष्ठ पृथक निधियों का निवेश	7,49.37	7,99.04	49.67
(क) निक्षेप निधि	7,46.94	7,96.94	47.00
(ख) प्रतिभूति उनमोचन निधि
(ग) अन्य निधियां	2.43	2.10	(–) 0.33
प्राप्त ब्याज	1,49.65	90.28	(–) 59.37

7.5 लेखे का पुनर्मिलान :-

लेखे की शुद्धता एवं विश्वसनियता अन्य बातों के अलावा समय पर विभागीय आंकड़ों तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित लेखा कार्यालय के आंकड़ों के मिलान पर निर्भर करता है। राज्य में 96 बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा वर्ष 2011 के लेखाओं का पुनर्मिलान कार्य पूर्ण किया गया है।

7.6 कोषालयों द्वारा मासिक लेखाओं की प्रस्तुतिकरण :-

महालेखाकार कार्यालयों को कोषालयों, निर्माण, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं वन मण्डलों द्वारा मासिक लेखे प्रस्तुत किए गए। 2010–11 में कुछ कोषालयों द्वारा मासिक लेखे विलम्ब से प्रस्तुत करने की जानकारी निम्नानुसार है:-

सरल क्रमांक	विलम्ब की अवधि	कोषालय की संख्या	निर्माण कार्य संभागों की संख्या	वन संभागों की संख्या	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभागों की संख्या
1	1 से 5 दिन	21	189	63	54
2	5 दिन से अधिक	16	15	07	04

7.7 संक्षिप्त एवं विस्तृत आकस्मिक देयक :—

आहरण एवं संवितरण अधिकारी संक्षिप्त आकस्मिक देयक (ए.सी.बिल) के माध्यम से सेवा शीर्ष को नामें कर राशियों का आहरण करने हेतु प्राधिकृत है एवं छः माह की निर्धारित समय सीमा या आगामी आकस्मिक देयक (ए.सी.बिल) आहरण से जो भी पहले हो, सभी प्रकरणों में विस्तृत आकस्मिकता देयक (डी.सी.बिल) आहरण एवं संवितरण अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 70 ए.सी देयक (2010–11 से संबंधित) जिनकी कुल राशि ₹ 4.53 करोड़ है, विस्तृत आकस्मिकता देयक (डी.सी.बिल) से समायोजन के अभाव में लंबित है।

7.8 अपूर्ण निर्माण कार्यों पर प्रति बद्धता :—

(₹ करोड़ में)

अवधि	सिंचाई		भवन		सड़क		पुल		अन्य	
	कार्यों की संख्या	राशि	कार्यों की संख्या	राशि	कार्यों की संख्या	राशि	कार्यों की संख्या	राशि	कार्यों की संख्या	राशि
1995 से पूर्व	6	3,09.75
1995 से 2000
2000 से 2005	5	7,00.41	1	16,95	1	25.62
2005 से 2010	69	23,39.21	10	4,11.45	36	11,24.45	16	2,30.39
2010 से 2011	2	69.62	2	29.30	1	12.78
योग	82	34,18.99	11	4,28.41	39	11,79.37	17	2,43.16


₹ 10 करोड़ एवं अधिक के अपूर्ण निर्माण कार्य की जानकारी राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

7.9 व्यय का अतिरेक:—

वर्ष के व्यय का नियमित प्रवाह बजट नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है। अत्यधिक व्यय, विशेषतः वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में वित्तीय नियमों का उल्लंघन माना जाता है। फिर भी यह ध्यान में आया है, कि अधोलिखित प्रकरणों में मार्च 2011 के दौरान किया गया व्यय, वर्ष के दौरान किये गए कुल व्यय के 51 प्रतिशत और 100 प्रतिशत की सीमा के मध्य था जो वित्तीय वर्ष के अंत में बजट प्रावधान प्रयुक्त किये जाने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	विवरण	प्रथम त्रै-मासिक	द्वितीय त्रै-मासिक	तृतीय त्रै-मासिक	चतुर्थ त्रै-मासिक	योग	मार्च 2011 के दौरान व्यय	2010-11 के कुल व्यय से मार्च 2011 का प्रतिशत
2030	स्टॉम्प तथा पंजीकरण	4.22	4.40	5.28	43.88	57.78	39.84	68.95
2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	00	00	0.04	4.52	4.56	4.23	92.76
2801	बिजली	00	0.80	00	2,81.39	2,82.19	2,81.39	99.72
2810	अ-पारम्परिक उर्जा	00	00	00	35.78	35.78	22.04	61.60
2852	उद्योग	0.59	4.47	0.81	8.53	14.41	7.80	54.13
2853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	4.38	4.46	4.43	1,89.15	2,02.43	1,87.00	92.38
3275	अन्य संचार सेवा	00	0.15	00	4.94	5.09	4.94	97.06
3425	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	0.50	00	0.61	3.31	4.42	2.46	55.65
4055	पलिस पर पूंजीगत परिव्यय	00	00	0.32	0.84	1.17	0.70	59.84
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	3.40	16.61	42.57	1,54.68	2,17.27	1,19.99	55.23
4401	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	00	00	00	0.50	0.50	0.50	100
4405	मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	00	0.06	0.03	0.39	0.49	0.37	75.68
4406	वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	0.05	0.10	2.89	19.68	22.76	11.62	51.08
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यकर्मों पर पूंजीगत परिव्यय	2.01	5.97	7.13	1,55.85	1,70.97	1,44.46	84.49
4851	ग्राम और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	00	00	0.01	33.59	33.60	33.45	99.57



छत्तीसगढ़